बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या–5/आ02–1015/2013– 541 पटना, दिनांक– 6.6.16

श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय:-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर के विरूद्ध आय से अधिक अप्रत्यानुपातिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(e) के तहत आर्थिक अपराध इकाई थाना काण्ड संख्या-38/2013 दर्ज किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

2. मामले के संज्ञान में आने के उपरान्त विभागीय आदेश सं0-5/आ02-1015/2013-453, दिनांक-25.09.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 19(2),19(3) एवं 19(6) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण है। मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5/आ02-1015/2013-558 दिनांक-06.12.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

4. श्री सिंह के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी, अपर विभागीय जांच आयुक्त श्री डॉ0 सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0 के पत्रांक-130/एम0सी0 दिनांक-09.06.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि ''आरोपित श्री संजय कुमार सिंह के विरूद्ध तीनों आरोप वस्तुनिष्ठ तरीके से सिद्ध होते है, अर्थात् श्री सिंह तीनों आरोपों में दोषी पाये जाते है।''

5. प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर विभागीय पत्रांक-5/आ02-1015/2013-402 दिनांक-06.07.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से 15 दिनों के भीतर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में आरोपी पदाधिकारी ने पत्रांक-शून्य, दिनांक-22.07.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में व्यक्तिशः सुनने के संबंध में अनुरोध किया गया। चुंकि विभागीय कार्रवाई के संचालन में जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा पुरी सुनवाई एवं छानवीन के पश्चात ही निष्कर्षित करते हुए आरोपों को प्रमाणित पाया गया अतः आरोपी पदाधिकारी के अनुरोध को अस्वीकार्य पाया गया।

sanjaysing

6. वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय:-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर के विरूद्ध निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया:-

(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नहीं होगा।

निलंबन अवधि में श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होगा।

7. उपरोक्त विभागीय प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-5/आ02-1015/2013-07 दिनांक-05.01.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना से श्री सिंह के विरूद्ध प्रस्तावित वृहत शास्ति पर परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक-5/प्रो0-3-02/2016-367 लो0से0आ0 दिनांक-06.05.2016 द्वारा आयोग ने आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

9. प्रमाणित आरोप के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय:-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) यथासंशोधित नियम 14(xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक-20.08.2007) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।" जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नही होगा, शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नही होने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

10. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय:-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) यथासंशोधित नियम 14(xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0

-166/2006 का0-2797 दिनांक-20.08.2007) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित की जाती है:-

(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशनादि देय नहीं होगा।

श्री सिंह को निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगा।

11. उपरोक्त कंडिका 10 में निहित शास्ति पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/6/16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-1015/2013- 541 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग (वै.दा.नि.को.), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-1015/2013- 541 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपिः- श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-1015/2013- 541 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपिः- बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-5/प्रो0-3-02/2016-367 लो0से0 आ0 दिनांक-06.05.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव

sanjaysing

ज्ञापांक- 5/आ02–1015/2013- 541 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं 5/आई0टी0 मैनेजर (विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02–1015/2013- 541 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02–1015/2013- 541 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

sanjaysing